



No. RSGSM/HO/A&P/Estt/Medical policy/F-3(II)/ 45000-5136

Dated : 08.03.2017

परिपत्र

संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 29.12.2016 के संकल्प संख्या 477.18.8 के निर्णयानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक RSGSM/HO/A&P/Estt/Medical policy/F-3(II)/44122-240 दिनांक 02.03.2017 जारी किया गया है। नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित अस्पतालों को अधिकृत चिकित्सालय की सूची से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है :-

1. मंगलम हॉस्पिटल, सी-30-ए, बर्फ खाना, आदर्श नगर, जयपुर।
2. टी.के. हॉस्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, एम. डी. रोड, नियर सांगानेरी गेट, जयपुर।
3. टांटिया जनरल हॉस्पिटल, 2-ए-6, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर-335001
4. मित्तल हॉस्पिटल, 143-ए, नियर एन.ई.बी. सर्किल, सुभाष नगर, अलवर, राजस्थान।
5. भारत विकास परिषद हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, प्रताप नगर, दादा बाडी, कोटा।

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि संस्थान के वे कार्मिकगण जिनका उक्त चिकित्सालय में इण्डोर उपचार जारी है, वे चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने तक तथा जिनका उपचार बाहरी मरीज (आउटडोर) के रूप में जारी है, वे दिनांक 31.03.2017 तक उपचार जारी रख सकते हैं।

महाप्रबन्धक

राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.
मुख्यालय जयपुर।

प्रतिलिपि :-

निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महाप्रबन्धक, राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि., शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर।
2. वित्तीय सलाहकार, राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि., मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, महाप्रबन्धक, राज. स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि., मुख्यालय जयपुर।
4. सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक प्रति चस्पा करने हेतु निर्देशित किया जाता है :- मुख्यालय जयपुर, शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर, समस्त केन्द्रीय मदिरालय, मदिरालय एवं समस्त 98 डिपो।
5. उक्त सूची अनुसार संबंधित चिकित्सालय को सूचनार्थ।
6. समस्त मदिरालय प्रभारियों को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र में जारी निर्देशानुसार चिकित्सा पुनर्भरण बिलों का नियमानुसार भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि परिपत्र को कम्पनी की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. माफा./सप.

उप महाप्रबन्धक (प्रशा. एवं का.)